

# हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १९

सम्पादक : मगनभाई प्रभुवास देसाई

अंक २०

मुद्रक और प्रकाशक  
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी  
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १६ जुलाजी, १९५५

वार्षिक मूल्य देशमें ६  
विदेशमें ६; षि० १४

## अहिंसक क्रान्तिकी पद्धति

'क्रान्ति और शांति' लेख (पृ० १५४)के विषयमें मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूँ। मैं पाठकोंका ध्यान लेखकके जिस कथन पर खींचता हूँ कि "यह हृदय-परिवर्तन मानसिक या बौद्धिक होना चाहिये, जो चर्चा, तर्क और तथ्योंके बल पर किया जाता है।" जिस सिलसिलेमें पाठक पूछ सकते हैं कि यदि विवेक-बुद्धिके जरिये या, जैसा कि लेखक कहते हैं, चर्चा, तर्क और तथ्योंको पेश करके प्रतिपक्षीको न बदला जा सके तब क्या होगा? जिस प्रश्नका उत्तर है— सत्याग्रह। जैसा कि हम जानते हैं, गांधीजीको दक्षिण अफ्रीकामें ठीक अंसी ही परिस्थितिमें सत्याग्रह सूझा था, जब कि 'चर्चा, तर्क और तथ्योंको पेश करके' जनरल स्मट्स और उनको सरकारका हृदय-परिवर्तन करनेका प्रयत्न असफल हो गया था। जिस बातको गांधीजीके ही शब्दोंमें सुनिये :

"सन् १९०६ तक मेरी पद्धति विवेक-बुद्धिको ही अपील करनेकी रही। मैं एक अत्यन्त परिश्रमी सुधारक था। लिखनेके काममें मैं कुशल था, क्योंकि तथ्योंकी मेरी पकड़ हमेशा बहुत ठीक होती थी, जिसका कारण था सत्यके प्रति मेरी अत्यन्त सूक्ष्म सावधानी। लेकिन मैंने देखा कि जब दक्षिण अफ्रीकामें संकटकी नाजुक घड़ी उपस्थित हुयी, तब विवेक-बुद्धिको अपील करनेसे काम नहीं चला। हमारे लोग बहुत आवेशमें आ गये थे—छोटा कीड़ा भी जब उसे ज्यादा परेशान किया जाय तो कभी-कभी क्रुद्ध हो उठता है—और वे बदला लेनेकी बात करने लग थे। उस समय मेरे समक्ष हिंसके पक्षमें शामिल होने या उपस्थित संकटका सामना किसी दूसरी तरहसे करने तथा जिस बढ़ती हुयी बुराओंको रोकने—जिन दो स्थितियोंमें से कोभी अंकको चुननेका सवाल पेश हुआ। और मुझे सूझा कि हमें जिस अपमानकारी कानूनको माननेसे इनकार कर देना चाहिये और अगर वे हमें जेलमें डालते हैं, तो उन्हें बसा करने देना चाहिये। जिस तरह युद्धके नैतिक पर्यायका जन्म हुआ। उस समय मैं राजभक्त था, क्योंकि मेरा संपूर्ण विश्वास था कि ब्रिटिश साम्राज्य जो कुछ कर रहा है, कुल मिलाकर वह भारतके और सारी मानव-जातिके हितमें है। युद्धका आरंभ होनेके कुछ ही दिनों बाद जब मैं अंग्लैंड पहुंचा तो मैंने अपनेको जिस काममें पूरी तरह लगा दिया था। और बादमें जब प्लूरिसीकी बीमारीके कारण लाचार होकर भारत लौटना पड़ा, तब मैंने अपना जीवन जोखिममें डालकर सेनामें लोगोंकी भरतीकी मुहिम चलायी थी। मेरी उस समयकी हालतमें मुझे अतिना परिश्रम करते देखकर मेरे मित्रोंको डर लगता था, लेकिन मैं जिस काममें बराबर जुटा रहा। मेरा भ्रम तो रौलट कानून पास होनेके बाद और जब सरकारने प्रमाणित अन्यायोंमें

भी अपनी भूल सुधारने और मामूली क्षतिपूर्ति करनेकी हमारी मांगको अस्वीकार कर दिया, तब सन् १९१९ में दूर हुआ। और जिससिले सन् १९२० में मैं विद्रोही बन गया। तबसे मेरा यह विश्वास अधिकाधिक दृढ़ होता गया है कि जनताके लिये जिन चीजोंका बुनियादी महत्त्व है, वे उसे केवल विवेक-बुद्धिको अपील करते रहनेसे नहीं मिल सकतीं, अन्हे दुःख उठाकर, दुःखका मूल्य देकर ही पाया जा सकता है। अन्यायके निवारणके लिये मनुष्यकी अपनी उपयुक्त-पद्धति दुःख सहना ही है। युद्ध तो जंगली पद्धति है। लेकिन विरोधीके हृदयका परिवर्तन करनेके लिये, विवेक-बुद्धिको आवाजके प्रति उसके बन्द कान खोलनेके लिये, दुःख सहनेकी पद्धति युद्धके जंगली कानूनसे अनन्त-गुनी प्रबल है। मैंने जितनी अजियां लिखी हैं और जितने अनाथ कार्योंका पक्ष लेकर मैं लड़ा हूँ, अतना शायद किसी और ने नहीं किया होगा और मैं जिस बुनियादी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अगर आप कोभी सचमुच महत्त्वपूर्ण कार्य कराना चाहते हैं, तो केवल विवेक-बुद्धिका समाधान करनेसे काम नहीं चलेगा, आपको प्रतिपक्षीके हृदयको द्रवित कर सकना चाहिये। तर्क द्वारा समझानेका असर केवल बुद्धि पर होता है, पर दुःख झेलकर हम उसके हृदयका दरवाजा खोल सकते हैं। वह मनुष्यके आन्तरिक बोधको जाग्रत कर देता है। दुःख ही मनुष्य-जातिका लक्षक चिन्ह है, तलवार नहीं।" (यंग अन्डिया, ५-११-३१, पृ० ३४१)

सत्याग्रह, हम जिसे सत्य समझते हैं, प्रेम और अहिंसाके द्वारा उसका सतत आग्रह रखने और उसके अनुसार आचरण करनेका नाम है। वह प्रतिपक्षीको प्रेमपूर्ण कार्योंकी अनिवार्य और अमोघ अपीलके द्वारा—जिसका असर उसके सारे व्यक्तित्व पर होता है—अपने पक्षमें बदल लेता है। जिस तरह सत्याग्रह अहिंसक क्रान्तिका, या मानुषिक कल्याणके वांछित बुद्देश्योंकी प्राप्तिके लिये आवश्यक सामाजिक परिवर्तनका शान्तिपूर्ण या अचिंत तरीका है। सच पूछो तो वह समाजमें चल रही मानव-विकासकी शाश्वत प्रक्रियाका नियम है। समाजमें जब हिंसक अथवा प्रतिगामी तत्त्व सत्यके आग्रहकी जिस क्रान्तिकारी प्रक्रियामें बाधा डालते या उसे रोकते हैं, तो फिर यह नियम किसी अवसर पर अक्षत क्रान्तिकारी स्थितिकी मांगके अनुसार अहिंसक युद्धरूपी क्रान्तिकारी कार्यकी तरह प्रगट हो जाता है। लेकिन जिस युद्ध या कार्यका मूल बुद्देश्य शान्तिपूर्ण और अहिंसक अपायोंके द्वारा अपने स्वीकृत सत्यका आग्रह ही होना चाहिये—अंसा आग्रह जिसे चाहे सो मूल्य देकर जारी रखा जाय। यह कार्य समुचित और सबके भलेके लिये नियोजित होना चाहिये; स्वार्थमूलक या अविचारपूर्ण नहीं होना चाहिये।

२८-६-५५  
(अंग्रेजीसे)

मगनभाई देसाई

## क्रान्ति और शान्ति

क्रान्तिकी प्रक्रियामें मनुष्य अपने पर बाहरसे पड़नेवाले दबावके कारण अक मंजिलसे दूसरी मंजिल पर आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि विकासकी या क्रमिक परिवर्तनकी प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ा है, जो मनुष्यके संपूर्ण दृष्टिकोणमें आप ही आप क्रान्ति पैदा कर देती है। क्रान्तिसे हमारा मतलब होता है विचार, भावना और कार्यके क्षेत्रमें पूर्ण और आमूल कायापलट। दीर्घ और निरंतर विकासकी प्रक्रियाके पूर्ण होनेके बाद तथा नये आध्यात्मिक, नैतिक और भौतिक मूल्योंकी स्थापनाके लिये भूमिका तैयार कर देनेके बाद पुरानी व्यवस्थासे नयी व्यवस्थाकी दिशामें जो अन्तिम परिवर्तन होता है उसे क्रान्ति कहा जाता है। जिस प्रकार क्रान्तिके पीछे अक प्रकारका वातावरण रहता है। वह परिवर्तनकी प्रक्रियाकी शान्त और स्वयंभू पराकाष्ठा है।

जिसलिये स्पष्ट है कि किसी विशेष प्रजा या राष्ट्रकी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रचनामें जबरनू किया हुआ परिवर्तन क्रान्ति नहीं है। क्रान्ति स्पष्ट रूपमें समाजके मानसमें स्वेच्छा या अनिच्छापूर्वक चल रही परिवर्तनकी विशिष्ट प्रक्रियाकी सौम्य, नाजुक और अत्यन्त शान्त परंतु तात्कालिक परिणामप्राप्ति है। वह जिस प्रक्रियाका सुखद अन्त है। क्रान्तिका अर्थ है प्रचलित मूल्योंवाली पुरानी पद्धतिका स्थान लेनेके लिये खड़ी की गयी परिवर्तित मूल्योंवाली नयी पद्धतिका सामान्यसे सामान्य मनुष्यों द्वारा स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया जाना।

जिसलिये अक अनिच्छापूर्ण या निर्दोष बल्कि अज्ञान अल्पमत पर बहुमतकी अिच्छाको लादना क्रान्ति नहीं है। क्रान्ति किसी प्रजा पर अपरसे लादी नहीं जा सकती। वह वास्तवमें लोगोंके परिवर्तित विचारोंकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति होनी चाहिये। वह हृदय और मस्तिष्कके परिवर्तनका प्रकटीकरण है।

क्रान्ति कोभी औपरेशन नहीं है, जैसा कि आप किसी पीड़ा पहुंचानेवाले शरीरके अवयवको काट डालनेके लिये करते हैं। जिसके विपरीत, वह मानव समाजके शरीरकी प्रत्येक नस और धमनीमें नया रक्त पूरनेकी क्रिया है। जिसलिये क्रान्ति हुयी तभी कही जायगी, जब सबके वास्तविक हितमें समाजका कायापलट हो जाय।

क्रान्ति अक मनुष्यके खिलाफ दूसरे मनुष्यकी लड़ाई नहीं है, जैसा कि होब्सके कथनानुसार राज्य-संस्थाकी रचनाके पहले माना जाता था। वह अक-दूसरेसे बिलकुल अलग विचार रखनेवाले दो विरोधी वर्गोंके बीचका संघर्ष भी नहीं है। वह अक ओर मनुष्य-मनुष्यके बीचके सम्बन्धोंका और दूसरी ओर मनुष्य और भौतिक जगत्के बीचके सम्बन्धोंका अुचित मेल है। जिसलिये क्रान्तिको आगे बढ़ानेके लिये हिसाके साधनका विचार भी नहीं किया जा सकता। यह बात अच्छी तरह ध्याद रखनी चाहिये कि क्रान्तिकी जरूरत तभी पैदा होती है, जब किसी समय किसी समाजकी विभिन्न संस्थायें नीचे गिर जाती हैं और प्रत्येक मनुष्यके हितके साधनके रूपमें काम करना बन्द कर देती हैं। बल्कि, वे अक प्रकारके गृह-युद्धकी शिकार हो जाती हैं, जहां समाजके अलग अलग सदस्य अक-दूसरेके खिलाफ काम करने लगते हैं और कट्टरपन्थी विश्वासोंके पागलपनके कारण अपने भीतर परस्पर विरोधी हितोंके पक्षपातपूर्ण विचारको विकसित कर लेते हैं। यह स्थिति हिसाकी द्योतक है। जिस सामाजिक अन्याय, हिसा और आत्म-विरोधका अन्त करनेके लिये क्रान्तिका जन्म होता है। क्रान्ति प्रचलित हिसाकी विरोधी शक्ति है। जिसका ध्येय जिस हिसाका जड़मूलसे अन्त करना है। जिसलिये उसका स्वरूप और प्रभाव अहिसक होना चाहिये। वह कुछ लोगोंके लिये या मानव-जातिके बड़े भागके लिये ही

नहीं, बल्कि सारी मानव-जातिके लिये शान्ति और व्यवस्थाकी स्थापनाकी प्रतिज्ञा है। वह शान्ति-धर्मकी स्वीकृति है। अपने इस रूपमें वह मुख्यतः युद्ध या खून-खराबीका पूर्ण निषेध है। क्रान्ति शान्तिका सकार रूप है, जो युद्धका अन्त करने और मानव समाजमें सामंजस्य और सुमेल पैदा करनेका काम करती है।

परंतु जब ऐसी स्थिति खड़ी हो जाय कि कुछ लोग नये मूल्योंका विरोध करें और पुराने मूल्योंका समर्थन करें, तब क्रान्ति उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी? स्पष्ट है कि क्रान्तिकी सफलता ऐसे लोगोंका हृदय-परिवर्तन करनेकी शक्ति पर निर्भर है। यह हृदय-परिवर्तन मानसिक या बौद्धिक होना चाहिये, जो चर्चा, तर्क और तथ्योंके बल पर किया जाता है।\*

जैसा कि हम अपर कह चुके हैं, क्रान्ति कुछ लोगोंकी दूसरोंके खिलाफ प्रचलित हिसाका अन्त करनेकी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मनुष्यकी स्वाभाविक अिच्छाओंमें बुनियादी श्रद्धा रखे बिना सफल नहीं हो सकती। क्रान्तिका मूलभूत पृष्ठबल जिस सिद्धान्तमें समाया हुआ है: "किसी मनुष्यकी जान मत लो, क्योंकि हर मनुष्य स्वभावसे अच्छा होता है; और यदि विवेकपूर्वक उसके साथ व्यवहार किया जाय तो वह अच्छाओंके अपने गुणकी ओर फिरसे लौट सकता है।"

(अंग्रेजीसे)

नेमीशरण

## कालेजोंमें तामिल माध्यम

जिस शीर्षकके अन्तर्गत 'हिन्दू' ने अपने १९ जून, १९५५ के अंकमें निम्न लिखित समाचार प्रकाशित किया है:

"मद्रास, १८ जून: शिक्षा-संस्थाओंमें शिक्षाके माध्यमके रूपमें तामिल स्वीकार करने और अूची कक्षाओंमें विविध विषयोंके असे अभ्यासके लिये अपयुक्त पारिभाषिक शब्दावली तैयार करनेके प्रश्न पर विचार करनेके लिये आज युनिवर्सिटी भवनमें वाजिस-चान्सलरों और सरकारी तथा गैर-सरकारी दूसरे शिक्षा-शास्त्रियोंकी अक परिषद् हुयी। शिक्षामंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम्ने जिस परिषद्की अध्यक्षता की।

"मंत्रोंने शिक्षा-शास्त्रियों और दूसरे अपस्थित सज्जनोंसे खासकर अिन प्रश्नों पर अपने विचार प्रगट करनेका अनुरोध किया: (१) कालेजोंमें शिक्षाके माध्यमके रूपमें तामिल चलानेका आरंभ; और (२) क्या तामिलमें वैज्ञानिक और टेकनिकल शब्दावली तैयार करनेके लिये अक समिति या कोभी दूसरे अपयुक्त संघटनका निर्माण किया जाय?" कालेजोंमें शिक्षाके माध्यमके चुनावके बारेमें बोलते हुये श्री सुब्रह्मण्यम्ने कहा:

"जहां तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाका सवाल है मौजूदा स्थिति यह है कि शिक्षाका माध्यम प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा है। जिन विद्यार्थियोंने हाजीस्कूलोंमें भाषा-व्यतिरिक्त दूसरे विषयोंका अध्ययन प्रादेशिक भाषामें किया है उन्हें कुदरतन् कालेजमें पहुंचने पर, जहां कि माध्यम अभी भी अंग्रेजी है, माध्यमके जिस परिवर्तनसे कठिनायी महसूस होती है। हमें अूनकी जिस कठिनायीका विचार करना है; युनिवर्सिटीका माध्यम और ज्यादा न गिरे उसके लिये यह जरूरी है। जिसलिये कालेजोंमें शिक्षाके माध्यमका परिवर्तन न सिर्फ तर्कसंगत बल्कि जरूरी भी मालूम होता है। लेकिन खेदका विषय है कि जिस प्रश्न पर लोगोंमें मतभेद है।

"स्वाभाविक है कि जिस मामलेमें हम अधिकारी व्यक्तियोंका मार्गदर्शन लें, और जिसलिये जिस संबंधमें युनिवर्सिटी कमीशन जैसी वरिष्ठ समिति — जिसके हमारे

\* जिस संबंधमें इसी अंकमें अन्यत्र दिया गया 'अहिसक क्रान्तिकी पद्धति' शीर्षक लेख देखिये।

— म० प्र०

वाअस-चान्सलर डॉ० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर अके विशिष्ट सदस्य थे—क्या कहती है, उसका स्मरण और विचार करना अचित्त होगा। असमें शक नहीं कि कमीशनने भारतीय संघकी राज्य-भाषाके रूपमें स्वीकार किये जानेके हिन्दीके अधिकारको माना है। लेकिन विश्वविद्यालयीन विद्याभ्यासके लिये शिक्षाके माध्यमके रूपमें उसकी अपयुक्तताके सवाल पर कमीशनकी यह राय रही कि दूसरी प्रादेशिक भाषाओंसे हिन्दीमें असी कोअी स्वाभाविक विशिष्टता नहीं है कि अिन प्रदेशोंके निवासियोंको अुनकी अपनी भाषाके लिये दूसरी श्रेणीकी स्थिति स्वीकार करनेके लिये कहा जाय। यानी अभी तक अंग्रेजी जिस स्थानका अुपभोग करती आयी, वह स्थान हिन्दीको देना संभव नहीं होगा। असलिये कमीशनने यह सुझाव दिया कि सांस्कृतिक, शैक्षणिक और शासनिक सारे संघीय कार्योंके लिये तो संघ-भाषाका अुपयोग किया जाय, पर राज्योंमें और संघकी दूसरी अिकाअियोंमें यही स्थान प्रदेश-भाषाको दिया जाय। कमीशनने असके आगे बढ़कर यह विचार भी प्रकट किया है कि अगर संघीय कार्योंमें भारतके प्रत्येक प्रदेश और खंडको समुचित हिस्सा लेना है और आन्तरभारतीय सद्भाव और अंकताको बढ़ावा देना है, तो भारतके शिक्षितोंको बहु-भाषा-भाषी होनेका निश्चय करना होगा और माध्यमिक शालाओं तथा युनिवर्सिटीकी कक्षाओंमें पढ़नेवाले हमारे विद्यार्थियोंको तीन भाषायें सीखनी होंगी : प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी।”

‘हिन्दुस्तान टाइम्स’, दिल्ली (२८ जून, '५५) का विशेष संवाददाता अपनी ‘साअथ अिन्डिया रिव्यू’ में ‘दक्षिणमें भाषाओंका युद्ध’ शीर्षकके अन्तर्गत अिन प्रश्नोंका वर्णन अस प्रकार करता है :

“राज्यकी दो युनिवर्सिटियों और अुनसे संयुक्त कालेजोंमें माध्यमकी तरह प्रदेश-भाषाको दाखिल करनेका सवाल शिक्षामंत्रीके द्वारा अभी हालमें आमंत्रित शिक्षा-शास्त्रियों और सरकारी अधिकारियोंकी परिषद्के साथ अेक कदम और आगे बढ़ा।

“जिन परिस्थितियोंमें राज्यकी सरकारको काम करना पड़ रहा है, अुनका विचार करते हुअे वह यही अेक निर्णय कर सकती है कि युनिवर्सिटियों और अुसके अंगभूत कालेजोंमें अंग्रेजीकी जगह माध्यमके तौर पर तामिलको दाखिल कर दिया जाय। प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओंमें माध्यम पहलेसे तामिल ही है और जब तक यह व्यवस्था बदली नहीं जाती—जिसकी कोअी संभावना नहीं है—तब तक राज्यके लिये यही अेक मार्ग है कि युनिवर्सिटीमें भी माध्यम तामिल ही कर दिया जाय। राज्य सरकारको असके सिवा कोअी चारा नहीं है। अुसे यह कदम किसी और कारणसे नहीं तो अुन लोगोंके समक्ष अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनेके लिये अुठाना पड़ेगा, जो राज्यकी शिक्षा-संस्थाओंमें हिन्दीकी पढ़ाअीका विरोध असलिये करते हैं कि हिन्दीकी पढ़ाअीसे प्रादेशिक भाषाकी अुपेक्षा होगी। हिन्दीके खिलाफ अस विरोधको देखते हुअे—जिसका आधार पूर्वग्रहके सिवा और कुछ नहीं है—युनिवर्सिटीमें माध्यमके तौर पर संघीय भाषा यानी हिन्दीका अुपयोग कर सकनेका जो दूसरा रास्ता है, वह सोचा ही नहीं जा सकता।

“युनिवर्सिटीमें तामिलको ही माध्यमकी भाषा बनानेके अस निर्णयमें मद्रास सरकारको गुजरात युनिवर्सिटीके तत्सम्बन्धी कार्यसे पर्याप्त बल मिला है। गुजरात युनिवर्सिटीने अपने वाणिज्य, विज्ञान और कला विभागोंके पहले वर्षमें शिक्षण और परीक्षाके माध्यमके तौर पर गुजराती दाखिल कर दी है। गुजरात युनिवर्सिटीके बुनियादी अेक्टमें अस

बातका अुल्लेख है कि सन् १९६० के अन्त तक युनिवर्सिटी-शिक्षणमें माध्यमके तौर पर अंग्रेजी समाप्त कर दी जाय। जो चीज गुजरात और सीराष्ट्रके लिये ठीक है, वह बेशक तामिलके लिये भी ठीक मानी जानी चाहिये, खासकर अस-लिये कि तामिल गुजरातीसे कम प्रगतिशील नहीं है।”

जो लोग भारतीय शिक्षाकी सही रास्ते पर बढ़ते हुअे देखना चाहते हैं अुन्हें यह सब समाचार पढ़कर प्रसन्नता होगी। अस पत्रमें अस प्रश्नके साथ जुड़े हुअे सारे मुद्दों पर पहले ही पूरा विचार किया जा चुका है। जैसा कि स्वाभाविक है, गुजरात युनिवर्सिटीने जो कुछ किया, दक्षिणमें अुसकी पुनरावृत्ति हो रही है; कारण स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारतका निर्माण करनेकी प्रक्रियामें हमारे लोगोंको अस महत्त्वपूर्ण विषयका निर्णय करना ही है और वह समय शीघ्र चला आ रहा है जब अुन्हें यह निर्णय कर लेना चाहिये।

‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ के संवाददाताने अपने पत्रमें राष्ट्रीय अेकताका पिटा-पिटाया प्रश्न अुठारा है। वह कहता है, “प्रादेशिक भाषाओंका विकास सर्वथा अुचित्त है, लेकिन विभिन्न राज्योंमें अिन भाषाओंको अुच्च शिक्षाका माध्यम बनानेमें राज्यों पर अस बातका खयाल रखनेकी जिम्मेदारी आती है कि अैसा कुछ न किया जाय जिससे राष्ट्रीय अेकताके सूत्र कमजोर पड़ें।”

यह कथन सही है और समयोचित्त है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि राष्ट्रीय अेकता केवल भाषासे नहीं बनती, अुसके निर्माणके और कअी अुपादान होते हैं। असके सिवा, यह स्वीकार करके कि प्रादेशिक भाषाओंके साथ-साथ और अुनके आवश्यक पूरकके तौर पर अखिल भारतीय आन्तर-भाषा हिन्दी भी रहेगी, अुक्त कथनमें प्रगट की गअी आशंकाका जवाब दे दिया गया है। स्कूलों और कालेजोंमें हिन्दी भी अभ्यासका अेक विषय होना चाहिये, ताकि भावी नागरिकोंके पास राष्ट्रीय अेकताके निर्माणके लिये सर्व-सामान्य भाषाका साधन रहे।

मद्रासकी अुपर्युक्त परिषद्में प्रश्नके अस पहलूका विचार किया नहीं मालूम होता, यद्यपि अुसने यह साफ समझ लिया है कि युनिवर्सिटी-शिक्षणके माध्यमके तौर पर अंग्रेजीका स्थान हिन्दी नहीं ले सकती और यह कि युनिवर्सिटी-स्टेजमें तीन भाषाअें होंगी। हम आशा करते हैं कि कालेजोंमें शिक्षाका माध्यम तामिल करनेके साथ-साथ दक्षिण भारत हिन्दीके शिक्षणको अुचित्त स्थान प्रदान करेगा।

१-७-५५  
(अंग्रेजीसे)

मगनभाई देसाई

### अ-गुजरातियोंके लिये भाषाकी परीक्षा

गुजरातमें वसे हुअे कुछ अन्य प्रान्तोंके लोगोंकी ओरसे गुजराती भाषाकी परीक्षाओंकी व्यवस्था करनेकी मांग होनेसे गुजरात विद्यापाठने अ-गुजरातियोंके लिये गुजराती भाषाकी चार क्रमिक परीक्षायें (प्राथमिक, सुबोध, प्रबोध और विनय) लेनेका निश्चय किया है। असके लिये शुरूमें बम्बअी, सूरत, अहमदाबाद और राजकोट—चार परीक्षा केन्द्र खोलनेका विचार किया गया है। बादमें जरूरत मालूम हुअी तो दूसरे केन्द्र भी खोले जायंगे।

अिन परीक्षाओंके अभ्यासक्रम और नियमोंकी पत्रिकाकी कीमत तीन आने है। अस संबंधका पत्रव्यवहार श्री परीक्षामंत्री, हिन्दी प्रचार समिति, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद—१४ के पते पर किया जाय।

गु० विद्यापीठ कार्यालय,  
अहमदाबाद—१४  
ता० ५-७-५५  
(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई  
महामात्र

# हरिजनसेवक

१६ जुलाई

१९५५

## पाठ्यपुस्तकें और सरकार

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाके लिये आवश्यक पाठ्यपुस्तकें तैयार करनेका प्रश्न केवल बम्बयी राज्यमें ही नहीं, बल्कि देशके अन्य सब राज्योंमें अठ खड़ा हुआ है। और सारे राज्योंमें कुछ बातोंमें अेक प्रकारकी समानता दिखायी देती है। अुसमें मुख्य बात यह है कि शिक्षाके अिस प्रश्नको मानो व्यापार और पूर्तिका प्रश्न मानकर सारा काम किया जा रहा है। यह बुनियादी भूल सब राज्योंमें अेकसी देखनेमें आती है। अिसके कारणोंमें हम यहां नहीं जायेंगे। परन्तु अिस सब परसे हमें अितना तो जरूर समझ लेना चाहिये कि शिक्षाका कार्य यदि अुसके अपने ढंगसे न हो तो अुसका क्या परिणाम आता है।

अिसकी वजहसे सबसे बुरी बात तो यह होती है कि शिक्षा-क्षेत्रमें वह अुदार दृष्टि नहीं रहती, जो अुसके लिये प्राणरूप मानी जाती है। और अुसके अधिकारी सनिक तंत्रके ढंग पर काम करने लग जाते हैं। सरकारी निरीक्षक महसूल, डाक-तार वगैरा शासनिक विभागोंकी तरह केवल कारोबार चलानेवाले बन जाते हैं और शिक्षाके विकास तथा गुणवृद्धिकी बातें—जो अुनके लिये विशेष ध्यान देने जैसी मानी जायेंगी—गौण या नहीं-जैसी बन जाती हैं। अुदाहरणके लिये, आज बुनियादी शिक्षा जैसी महा-योजना पर अमल करनेका प्रश्न देशके शिक्षा-विभागोंके सामने खड़ा है। लेकिन अुसका ध्यान किधर है? वे किन बातोंकी ओर खिच गये हैं? ये शिक्षा-विभाग किस काममें अपना समय खर्च कर रहे हैं? अुनके अध्यापन-मंदिर और शिक्षक किन ध्येयोंको सामने रखकर चल रहे हैं? अैसे प्रश्नोंका अुत्तर खोजें, तो मैं मानता हूं कि मैंने अुपर जो कुछ कहना चाहा है वह तुरन्त स्पष्ट हो जायगा।

यह बुराही यहीं तक आकर नहीं रुक जाती। अेक बार स्थानभ्रष्ट हो जानेके बाद शिक्षा-गंगा अैसी अुलटी दिशामें बहने लगती है कि अुसे फिरसे अुसके पवित्र स्थान पर नहीं लाया जा सकता।

शिक्षा-विभागोंने पाठ्यपुस्तकें स्वीकार करनेका अधिकार कानूनसे अपने हाथमें रखा है। यह चीज विदेशी राज्यकी नीतिका अेक छोड़ देने योग्य अवशेष है। विदेशी राज्य होनेके कारण वह बेशक देशकी जनताके प्रति सशंक रहकर चलता था। अुसे शिक्षाके प्रकार पर नियंत्रण रखना ही पड़ता था। और पाठ्य-पुस्तकें अुसका अेक महत्त्वपूर्ण अंग थीं। अतः अुन पर नियंत्रण रखना अेक सरकारी काम बन गया। वह विचार आज तक जारी है। और अुसमें रच-पच कर तैयार हुआ शिक्षा-तंत्र भी अुसीके जैसा दोषपूर्ण बन गया है। अिस कारण सरकार तुरन्त बीचसे हट कर शिक्षाकी व्यवस्थाका सारा काम शालाके संचालकोंको नहीं सौंप सकती। बल्कि देखा तो यह जाता है कि सरकारें शिक्षण-क्षेत्र पर अैसा अधिकार कर लेना चाहती हैं जैसा पहले कभी अुनके हाथमें नहीं था, और तरह तरहके प्रयोग कर रही हैं, जिनके परिणाम विभिन्न राज्योंमें देखनेको मिलते हैं। युद्ध-कालके अंकुश-युगमें विकसित अुने विचार और समाजवादी व्यवस्था क्रायम करनेके नये विचार भी अिसमें विगाड़ पैदा कर रहे हैं, अिसकी वजहसे शिक्षाका प्रश्न शिक्षाका न रहकर अुपर कहे अनुसार व्यापार और पूर्तिके अंकुशराज्यका प्रश्न बन जाता है।

बम्बयी, त्रावणकोर, मध्यप्रदेश, पंजाब, दिल्ली वगैरा राज्योंमें आज जो कुछ चल रहा है, अुससे स्वराज्यकी सरकारोंको सावधान हो जाना चाहिये। अिस सब परसे देशके सारे राज्योंके शिक्षा-विभागोंको जाग जाना चाहिये। वर्ना अंग्रेजी शिक्षा चलानेके लिये खड़े किये गये ये तंत्र अुस शिक्षाके साथ खुद भी निकम्मे बन जायेंगे। अंग्रेजी शिक्षा आज पुरानी पड़ गयी है और अुसका हास होता जा रहा है। अिसके साथ शिक्षा-तंत्रोंका भी अगर हास होता गया तो अुसका परिणाम साफ है; ये तंत्र शिक्षामें बुनियादी सुधारका नया काम नहीं कर सकेंगे। और दूसरा कोअी तंत्र है नहीं, जो यह काम संभाल ले।

आज तो यही परिणाम दिखायी देता है। अिसमें गहरे पैठें तो आज देशके नवनिर्माणकी जो योजनायें सोची जाती हैं, अुनमें भी शायद अिसके कारण छिपे अुने मिलेंगे। तब प्रश्न यह खड़ा होता है कि अिन योजनाओं द्वारा देशको सच्ची चालना और प्रेरणा मिलती है या नहीं।

सच पूछा जाय तो ये योजनायें देशके सामने जो सीधे-सादे काम खड़े हैं अुन्हें हाथमें न लेकर अैसे कामोंमें वह जाती हैं जिन्हें खयाली या तरंगी कहा जा सकता है। अुदाहरणके लिये, १४ वर्षकी आयु तक बालकोंको अनिवार्य शिक्षा देनेका काम ही लीजिये। क्या अिस योजना पर तफसीलवार विचार किया गया है? अैसा कहा गया है कि अिस शिक्षणकी पद्धति गांधीजी द्वारा बतायी गयी अुद्योग-पद्धति \* होगी। परन्तु अिसके अमलका विचार क्या विगतवार किया गया है? पहली पंचवर्षीय योजनाके समय कहा गया था कि देशमें अन्नकी तंगी है, अिसलिये अन्नका अुत्पादन बढ़ाना पहला काम माना गया है। लेकिन अब क्या कारण है? क्या हम कह सकते हैं कि देशका अेक भी राज्य अपने शिक्षण-कार्यकी निश्चित योजना बनाकर चलता है? अैसा होता तो पाठ्यपुस्तकोंके विषयमें आजकी-सी भूलें नहीं होतीं। शिक्षा प्रजाकीय व्यवसाय है। अुसमें जनता स्वतंत्र रूपमें अपने कार्यकी व्यवस्था कर सके, अिस प्रकार सरकारको अुसकी मददमें रहना चाहिये। अिसके बजाय थोड़ी भी कठिनायी मालूम होते ही सरकार लोगोंके लिये स्वयं सब कुछ करनेकी झंझटमें पड़े तो यह गंभीर भूल होगी। कल्याण-राज्यके विचार शिक्षाके क्षेत्रमें काम नहीं देंगे। कल्याण-राज्य यदि सरकार-मांवाप-वादका रूप ग्रहण करे, तो अुससे लोकशाहीका हास होगा। शिक्षण-क्षेत्रमें अुसके अलावा स्वयं शिक्षणका ही हास हो जायगा। और अैसा ही तो प्रजाका निर्माण करनेवाला सजीव और प्राणवान साधन अपने ध्येयसे गिर जायगा।

१०-७-५५

(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

\* यह पद्धति पाठ्य-पुस्तकोंके बारेमें अपना विशेष दृष्टिबिन्दु रखती है, अिसमें आजकी तरह पाठ्य-पुस्तकें शिक्षाका केन्द्र और वाहन नहीं मानी जातीं। अुसका असर अिन पाठ्य-पुस्तकोंके प्रश्न पर भी मामूली नहीं होगा। परन्तु यह चर्चा आगे कभी की जायगी।

## बुनियादी शिक्षा

गांधीजी

कीमत १-८-०

डाकखर्च ०-६-०

## सच्ची शिक्षा

गांधीजी

कीमत २-८-०

डाकखर्च १-०-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-१४

## भूदान और पंचवर्षीय योजना

ता० २५ जूनके 'हरिजनसेवक' में पृष्ठ १३४ पर भावी वल्लभस्वामीके लेखके नीचे मैंने अंक टिप्पणी जोड़ी थी। उसमें मैंने कहा था कि, "जो जमीन भूदानमें मिली है, उसका बंटवारा करने और पानेवाले लोगोंको जरूरी सम्पत्ति देकर और ग्रामोद्योग आदि सिखाकर सुस्थित करनेका काम हम सरकारकी दूसरी पंचवर्षीय योजनाको सौंप सकें, तो उसे सौंपकर सर्वोदयका अपना व्यापक काम करते रहना हमारे लिये ठीक होगा।"

अपनी इस सूचनाके संबंधमें अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता उपस्थित हुई है। इस सूचनाको 'महत्त्वकी सूचना' कहकर 'भूमिपुत्र' पत्रने (१-७-५५ के अंकमें) अंक लेख लिखा है। अंक मित्रने मुझे वह लेख दिखाया। उसमें इस सूचनाको अद्भुत करके असा कहा गया है कि:

"हम आशा रखते हैं कि केन्द्र तथा विभिन्न राज्य-सरकारें इस सूचनाको स्वीकार करनेकी तैयारी बतायेंगी। इस तरह यदि वह अंक सुदृढ़ रूप प्राप्त कर ले तो जरूर उस पर रचनात्मक कार्यकर्ता गंभीर विचार कर सकते हैं।" मेरी सूचना सरकारोंको नहीं भूदान-कार्य करनेवालोंको थी। और वह यह थी कि यदि यह काम पंचवर्षीय योजनामें ले लिया जाय तो अचित्त होगा। आजकल भूदानके बारेमें प्रदेश-राज्योंमें कानून बन रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता उन्हें चाहते हैं। मेरी सूचना इस संबंधमें यह है कि यदि यह काम नयी योजनाके अंक भागकी तरह ले लिया जाय तो बहुत ठीक हो।

जिस तरह हमने चरखा-संघका काम खादी-बोर्डको सौंप दिया और अंक तरहसे हम उसकी ओरसे निश्चिन्त हो गये, उसी तरह जमीनका वितरण करना, जमीन पानेवालेकी मदद करके उसे उस जमीन पर काम करने योग्य बना देना, यह सब अंक योजनाका काम है। नयी योजनामें आसानीसे इसे उसका अंक भाग बनाया जा सकता है। सरकारके सामने हमें यह बात रखनी चाहिये।

हम जानते हैं कि जमीन बांटनेका काम विशेष प्रकारका है। उसमें समय और धन दोनोंका काफी खर्च होता है और विशेषज्ञोंकी जरूरत होती है। यदि सरकारको कार्यकर्ताओंकी आवश्यक सलाह-सूचना और मदद मिलती रहे तो सरकारी तंत्र उसे भलीभांति संपादित कर सकता है। नयी योजनाके अंदर असा बहुत कुछ काम करनेका सोचा ही गया है।

अब अड़ीसामें ग्रामदानकी पद्धति अपनायी जा रही है। और पूरा गांव मिले तो भूमि-वितरणका काम साथ ही कर दिया जाय, यह अच्छा सुधार है। इससे वितरणका काम अिकट्टा होकर भारी नहीं होगा। जमीनके बंटवारेके बाद उसके साथ ग्रामोद्योगोंकी योजना करना, उसके लिये आवश्यक द्रव्य जुटाना, अित्यादि काम देशकी पुनर्रचनाके लिये शुरू की गयी पंचवर्षीय योजनाका ध्येय है। इसलिये वह उसीको सौंपा जाय, असी मेरी सूचना है।

१-७-५५  
(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

### भूदान-यज्ञ

विनोबा भावे

कीमत १-४-०

डाकखर्च ०-५-०

### भावी भारतकी अंक तसवीर

[द्वितीय आवृत्ति]

किशोरलाल मशरुवाल

कीमत १-०-०

डाकखर्च ०-५-०

नवजीवन प्रकाशन मन्विर, अहमदाबाद-१४

www.vinoba.in

## मालिक तो परमेश्वर है

[ता० ३०-५-५५ को जुम्पापुर-कोरापुट पड़ाव (अुकल) पर दिये गये प्रार्थना-प्रवचनसे।]

जैसे हवा, पानी और सूरजकी रोशनी भगवान्ने पैदा की है इसलिये उस पर सबका समान अधिकार है, उसी तरह जमीन भी भगवान्की पैदा की हुयी चीज है, इसलिये वह सबके लिये है। जमीनकी जरूरत हरअंकको होती है। हमारा खाना हमें जमीनसे मिलता है। हमारी गायोंके लिये घास जमीनसे मिलती है। हमारे मकान जमीन पर बनते हैं। इस तरह हरअंक चीजका आधार जमीन पर है। तो हरअंकका जमीन पर अधिकार होना चाहिये। लेकिन बीचमें अंग्रेज लोग यहां आये और अन्होंने असा कानून बनाया, जिससे किसीके पास ज्यादा जमीन चली गयी और किसीके पास कुछ भी जमीन नहीं रही। लोगोंने जमीन बेचना और खरीदना शुरू किया। क्या हम हवा और पानी बेचते हैं? जैसे हवा-पानी बेचनेकी या खरीदनेकी चीज नहीं है, वैसे ही जमीन भी बेचने या खरीदनेकी चीज नहीं है। जमीन तो हमारी माता है। उसकी कीमत पैसेमें करनेकी बात बिलकुल गलत है। लेकिन अंग्रेजी राज्यमें असा रद्दी कानून बना कि जिससे जमीन बेचना और खरीदना आरंभ हुआ। अभी भी वह कानून जारी है। लेकिन हम उस कानूनको तोड़ना चाहते हैं। हम गांव-गांवके लोगोंको यह बात समझा रहे हैं और अगर लोग समझ गये तो वह कानून टूट जायगा।

जमीनका कोअी मालिक नहीं हो सकता। वह हमारी माता है। सारे लड़के माताके पास जाकर अपना खाना मांगते हैं, वैसे ही हर कोअी जमीनके पास जाकर उसकी सेवा करेगा और अपना खाना हासिल करेगा। जिन दिनों किसानको पैसेकी जरूरत होती है वह साहूकारके पास जाकर जमीन बंधक रखता है। फिर धीरे-धीरे ब्याज बढ़ता जाता है और उसकी जमीन साहूकारके पास चली जाती है। लेकिन इस तरह जमीनकी कीमत करना धर्मके विरुद्ध है। जमीन तो सारे गांवकी है। गांवके लोग काम करेंगे और मजमें खायेंगे। हमारे गांवमें जमीन ज्यादा है और पड़ोसवाले गांवमें जमीन कम है, तो उस गांवके लोग हमारे यहां आकर मजमें रह सकते हैं। हमारा हृदय सबके लिये खुला है और हमारी जमीन भी सबके लिये खुली है। हर कोअी काम कर सकता है और अपना खाना हासिल कर सकता है।

जिस तरह जमीनका कोअी मालिक नहीं हो सकता है, उसी तरह हम यह भी कहना चाहते हैं कि ये जो कारखाने वगैरा हैं उनका भी कोअी मालिक नहीं रह सकता है। लेकिन हम जमीनसे शुरूआत करना चाहते हैं। आप लोग पक्के होकर काम करेंगे तो ताकत बढ़ेगी और फिर ये कारखाने समाजके बन जायेंगे। आज तो यह होता है कि कारखानोंमें कुछ मजदूर होते हैं और कुछ मालिक। लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों मालिक हों और दोनों मजदूर हों। किसीके पास दिमाग अधिक है तो वह दिमागसे अधिक काम करेगा और किसीका शरीर मजबूत है तो वह शरीरसे अधिक काम करेगा। परंतु दोनों मालिक होंगे। आखिर दो मालिक तो नहीं हो सकते हैं, अंक ही हो सकता है। तो इसका मतलब यही होगा कि सारा समाज या भगवान् ही मालिक होगा। और हम सारे सेवक होंगे। मालिक तो परमेश्वर है और उससे हमें जो कुछ मिलेगा हम समान रूपसे बांटकर खायेंगे और समाजके हितमें काम करेंगे। इसी-लिये हम हर मीटिंगमें यह मंत्र जपते हैं कि हवा, पानी और सूरजकी रोशनीके समान जमीन भी भगवान्की देन है। इसलिये वह सबके लिये है। यह मंत्र रामनामके जैसा है।

विनोबा

## सेवा समग्र जीवनकी चाहिये

[अुत्कलमें आदिवासी क्षेत्रकी सेवाके लिये १९४६ में नवजीवन मण्डलकी स्थापना हुअी। तबसे श्रीमती मालतीदेवी चौधरीके नेतृत्वमें आदिवासी क्षेत्रमें रचनात्मक काम चल रहा है। अुदयगिरि (जिला गंजाम, अुत्कल) में विनोबाजीकी अुपस्थितिमें मंडलके सदस्योंकी ता० २५-५-५५ के रोज बैठक हुअी। अुसमें विनोबाजी द्वारा दिये गये व्याख्यानसे नीचेका हिस्सा दिया जाता है।]

अभी तक जहां-जहां आदिवासियोंकी सेवा चली वहां-वहां वह सेवा अेक विशेष हेतुसे चली। असलिये अुसकी कार्य-पद्धति अेक प्रकारकी बन गयी और अुसमें अेकांगिता भी आ गयी। अब हमको सोचना होगा कि यद्यपि हम चाहें तो किसी खास जातिकी सेवा कर सकते हैं, परंतु बेहतर तो यह होगा कि हम किसी अेक क्षेत्रकी सेवा करें। जिस क्षेत्रमें आदिवासियोंकी संख्या ज्यादा है, अैसा क्षेत्र हम चुन लेते हैं तो स्वाभाविक ही वहां आदिवासियोंकी सेवा प्रधान हो जाती है। परंतु वह सेवा संपूर्ण क्षेत्रकी होनी चाहिये। अब तक हरिजन, आदिवासी आदिके लिये सेवा चली। आरंभ कालके लिये यह अपरिहार्य हो सकता है। हमारे बहुतसे काम इसी तरहसे अलग-अलग चले, और हरअेककी अलग-अलग संस्था भी बनी। वह संस्थायें भिन्न-भिन्न समयमें पैदा हुअीं। इस तरहसे क्रमिक विकास होता गया।

लेकिन स्वराज्यके बाद हम जो भी काम करें वे असमग्र नहीं होने चाहिये। और हमें असर्वकी सेवा नहीं करनी चाहिये। हम किसी जाति विशेषकी सेवा न करें, बल्कि मनुष्यमात्रकी करें। हम सेवाके लिये कोअी अेक प्रश्न चुन लें, परंतु अुसमें जो सेवा होगी वह मनुष्यमात्रकी होनी चाहिये और वह सेवा किसी अेक विशेष प्रकारकी न हो, बल्कि कुल जीवनको ही अुन्नत बनानेकी दृष्टिसे हो। जीवनकी जितनी शाखोपशाखायें हैं, अुन सबको ध्यानमें रखते हुअे सेवा करनी चाहिये। इस तरह सेवाका विस्तार पूर्ण होना चाहिये और सेवाका प्रकार समग्र होना चाहिये।

हमारा काम अेक अजीब ढंगसे शुरू हुआ। जिसे राजनीतिक या राष्ट्रीय कार्य कहते हैं, जिसमें दास्य-मुक्तिकी बात थी, वह पहले आया। फिर आम लोगोंके साथ संपर्क स्थापित करनेके वास्ते और कुछ दुःखनिवारणके खयालसे खादीका आरम्भ हुआ। खादीमें भी पहले बुननेसे आरंभ हुआ। अुस समय मिलका सूत लेकर बुनाअीका काम चलता था। फिर ध्यानमें आया कि यह तो परावलंबी कार्य हो जाता है। इससे कोअी समस्याका हल नहीं मिलता है। असलिये सूत कातनेकी जरूरत महसूस हुअी और चरखा आया। पहले तो पूनी मिलकी होती थी, लेकिन बादमें ध्यानमें आया कि पूनी भी हाथकी होनी चाहिये। फिर यह महसूस हुआ कि कपामसे आरंभ होना चाहिये यानी बिलकुल ही अुलटा आरंभ हुआ। गीतामें अूर्ध्वमूलमधः शाखाका वर्णन आता है, वसा ही यह काम हुआ। बुननेसे आरंभ हुआ, फिर कातना आया, फिर धुनना, फिर ओटना, और फिर कपासका पेड़ लगाना। कपासके पेड़के लिये जमीन चाहिये, तो भूदान-यज्ञकी बात आयी।

भूदान-यज्ञकी बात अुस समय नहीं हो सकती थी, क्योंकि अुस समय तो स्वराज्य ही हासिल करना था। वह आन्दोलन बुनियादी नहीं था, निगेटिव (अभावात्मक) था। असलिये बीज बोनेसे अुसका आरंभ नहीं हुआ, बल्कि अूपरसे हुआ। लोगोंको तो फल खानेमें आकर्षण मालूम होता है, बीज बोनेमें नहीं। लेकिन स्वराज्य प्राप्तिके बाद हमारा आरंभ भूदान-मूलक ही हो सकता है। जिस गांवमें जमीनका वंटवारा ठीक नहीं हुआ है, वहां पर अूपर-अूपरसे दूसरे अुद्योग शुरू किये जायें तो वे नहीं

टिकेंगे। देशका प्रथम अुद्योग है खेती, अुसको नजरअंदाज करके हम वाकीके ग्रामोद्योग नहीं खड़े कर सकते। जो गांव सर्वस्व-दानमें मिले हुअे हैं, वहां पर हम ग्रामोद्योग खड़े कर सकते हैं और पूर्ण सर्वोदयकी योजना बना सकते हैं।

मैंने रांचीमें अीसाअी लोगोंका कार्य देखा। सौ डेढ़ सौ सालसे वे लगातार काम करते आ रहे हैं, परंतु अुनकी स्फूर्ति कम नहीं हुअी। जब मैंने अुसके कारणके बारेमें सोचा तो ध्यानमें आया कि इस काममें जीवन-दानका विचार होना चाहिये और दूसरी बात यह कि हमें जनताको अेक पुस्तक देना चाहिये। यहां पर जो सारे आदिवासी लोग हैं वे पुस्तक-विहीन हैं। अीसाअी मिशन-रियों अुनको अेक पुस्तक दी और परसों जब मैंने देखा कि आदिवासी बहनें हाथमें पुस्तक लेकर गीत गाती हैं, तो मुझे आश्चर्य भी हुआ और आदर भी। मैंने सोचा कि ये लोग निराधार नहीं हैं। अुन्हे कुछ आधार है। मनुष्यको सगुण आधारकी जरूरत होती है। पहले हमारे यहां यह रिवाज था कि तुलसीके पेड़को पानी दिये वगैर अन्न ग्रहण नहीं किया जा सकता। इस तरह पेड़के, मूर्तिके आधार थे। अुस हालतमें वे प्रतीकात्मक आधार, (सिम्बल्स) ठीक भी थे। अुनके आधारसे हमारा जीवन चला। परंतु बीचके जमानेमें वे आधार अयशस्वी साबित हुअे। बात अैसी थी कि जिन्होंने ये प्रतीक जनताको दिये थे, अुनके खदके पास पुस्तकें थीं। अगर अुनके पास पुस्तकें नहीं होतीं और वे जनताको कुछ प्रतीक दे देते तो बात दूसरी थी। परंतु अुनके पास वेद, अुपनिषद् आदि पुस्तकें थीं। लेकिन अुन्होंने लोगोंको ये पुस्तकें देनेसे अिन्कार किया। पहले तो यह कहा जाता था कि अुसका अुच्चारण कठिन है, असलिये सब लोगोंको वह सिखाया नहीं जा सकता। परंतु बादमें कहा गया कि जनताको वेद, अुपनिषद् आदि पढ़नेका अधिकार नहीं है। इस तरह अुन्होंने लोगोंको अधिकांश विहीन रखकर अुनकी अुन्नति करना चाहा, अपने पास पुस्तकें होने पर भी लोगोंको नहीं दीं। तो वह बड़ी भारी गलती हुअी। इस तरह पुस्तकको जो रोक गया है अुसे अब खोलना चाहिये।

मैं सोचता हूं कि जनताको पुस्तक देना बहुत जरूरी है। लेकिन पुरानी कोअी भी किताब, न सिर्फ हिन्दू धर्मकी बल्कि दूसरे भी किसी धर्मकी कोअी किताब मुझे अैसी नहीं लगती जिसे मैं लोगोंको जैसीकी वैसी दे दूं। इसका मतलब है कि अुसमें से कुछ चुनना होगा और कुछ नयी पूर्ति करनी होगी। यह कोअी यांत्रिक कार्य नहीं है, जो विद्वानोंकी समितिको सौंपा जा सके। अेक अुड़िया भजन है, जिसमें त्रिवदन चन्द्रमाकी बात आयी है। अब इस जमानेमें अुससे कोअी अुत्साह नहीं पैदा हो सकता। अब केवल प्रतीकसे काम नहीं चलेगा। अिन लोगोंने तो मुक्तिके लिये मंदिरमें जाना, झुकना, फूल चढ़ाना आदि कअी बातें जरूरी समझी हैं। इसका मतलब है कि अीश्वरके साथ सीधा संबंध नहीं रखा है। ख्रिस्ती लोग भी अीश्वरके साथ सीधा संबंध नहीं रखते हैं। बीचमें अीसाको लाते हैं। अगर वे मनुष्यका अीश्वरके साथ सीधा संबंध जोड़ देते, तो अुनका बहुत प्रचार होता। परंतु यह बात अुन्हें नहीं सूझती, क्योंकि अुनके मनमें गुरूके नामका प्रचार करनेकी वासना रहती है। मैं तो मानता हूं कि गुरूके विचारके लिये सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोअी चीज है तो अुसके नामका प्रचार करनेकी अुसके शिष्योंकी अिच्छा। शंकराचार्यने अपने गुरूका नाम कभी नहीं लिया। सिर्फ अेक भजनमें बड़ी कुशलतासे गुरूका नाम ले लिया। अुनका प्रसिद्ध भजन है—“भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढभते!” गोविन्द तो भगवान्का नाम है। लोग नहीं जानते हैं कि

अनुके गुरुका नाम गोविन्द था। अन्होंने जनताके सामने जाकर यह नहीं कहा कि यह हमारे गुरु हैं; वे सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, और अन्होंने नामसे आपका खुद्वार हो सकता है। मुहम्मदके अनुयायी भी गुरुके नामका प्रचार करना चाहते हैं। वे तो यहां तक कहते हैं कि दुनियामें मुहम्मदसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं हुआ और न हो सकता है। अनुका जीवन परिपूर्ण जीवन था। अब कोई बच्चा यह कहे कि मेरे बापसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है, मेरी मांसे बढ़कर कोई प्रेमी नहीं है, तो वह बच्चा बंसा कहे, लेकिन अगर वह दूसरोंसे कहे कि तेरा बाप और तेरी मां श्रेष्ठ नहीं है, मेरे बाप और मेरी मांको ही तुम मानो तो अिससे विरोध पैदा होता है। अिसलिये गुरुका नाम लेनेसे दूसरे लोगोंके मनमें विरोध पैदा होता है। अिसलिये हमें किसीका भी नाम नहीं लेना चाहिये। बल्कि सब धर्मोंका सार लेकर जनताको देना चाहिये।

हमने देखा है कि उत्तरप्रदेशमें तुलसी रामायणने जो कार्य किया है, जितना लोकसंग्रह किया है, अतना किसी राजाने या बादशाहने नहीं किया। उस समय हिन्दू धर्म पर हमले हो रहे थे, तो लोगोंको महसूस हुआ कि अिसे रोकनेके लिये हमारे पास कुछ आधार है। उसको रोकनेका काम तुलसी रामायणने किया। बंगालमें मैंने देखा कि वहां पर बहुतसी किताबें हैं, लेकिन तुलसी रामायण जैसी कोई एक किताब नहीं है जिससे सामान्य किसान भी जो लेना है वह ले सकता है, और महाज्ञानी भी जो लेना है वह ले सकता है। अिस तरह ज्ञानीसे लेकर अज्ञानी तक सबके लिये कोई एक श्रेष्ठ ग्रन्थ चाहिये। चूंसा ग्रन्थ मैंने बंगालमें नहीं पाया। अिसलिये बंगालमें भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंके जितने हमले हुए अतने उत्तरप्रदेशमें नहीं हुए। अिस्लामने तो एक बहुत बड़ा काम किया। सब लोगोंको एक किताब दी और अनुभूत लोगोंको अुन्नत किया। उसने कहा, "तुम चाहे जिस जातिके हो, तुमको सब अधिकार हैं। मसजिदमें जाओ और किताब पढ़ो।"

मैंने देखा है कि सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि प्रान्तके प्रान्त ग्रन्थ-विहीनसे हैं। ग्रन्थसे मेरा मतलब कोई खास एक पुस्तकसे नहीं है। हम सर्वोदय विचारका नाम लेते हैं तो उसका तत्त्वज्ञान हमें जनताके सामने रखना चाहिये। तत्त्वज्ञानकी बुनियाद, बीचका आकार, उसकी पद्धति और अंतमें शिखर यानी अंतिम आदर्श, अिस प्रकारकी चतुर्विध दृष्टि होनी चाहिये। और वह सब जनताको देना है और जनतामें सर्वोदयकी निष्ठा पैदा करनी है।

अब कुछ कामकी पद्धतिके बारेमें कहूंगा। वर्धामें हमने प्रयोग करके देखा है कि सिर्फ धूमनेसे और प्रचार करनेसे काम नहीं होता है। उसके साथ कुछ स्थिर कार्य भी करना चाहिये। लेकिन जब स्थिर कार्य ही चला, आश्रम बने, संस्थायें बनीं तो अनुका एक पर्याप्त जीवन बन गया। आसपासके लोगोंके साथ संपर्क रखनेकी न अन्हें आवश्यकता महसूस हुई, न अनुके पास अतना समय और शक्ति थी। तो सारा प्रचार खतम हुआ। दोनों अनुभवसे हम अिस निर्णय पर आये कि द्विविध कार्य चलना चाहिये। कुछ स्थायी और कुछ धूमता हुआ कार्य। स्थायी कार्य और प्रचारकार्यका एक-दूसरेके साथ अच्छा संबंध होना चाहिये।

खादीके बारेमें हमें बहुत सोचनेकी जरूरत है। बापू कहते थे कि अिसमें गहराई है। बिना खादीके स्वावलंबी ग्राम-योजना और ग्रामराज हम नहीं बना सकते हैं। अिसमें कुछ लोगोंका बापूके साथ तभीसे विरोध था। अनुके कुछ साथी सोचते थे कि खादीको हम अतिथिके जैसा स्थान देंगे। अतिथि दो-चार दिनके लिये घरमें रह सकता है परंतु घरका मालिक दूसरा ही होता है। अुसी तरह खादी अतिथि है और मिल मालिक है।

अब वे लोग बेकारीकी समस्याको सुलझानेकी दृष्टिसे खादीको कुछ अुत्तेजन दे रहे हैं। लेकिन अनुकी ग्रामोद्धारकी योजनामें सबसे पहले रास्ते बनानेकी बात सोचते हैं।

अब रास्तेका महत्व तो सबसे ज्यादा मुझे मालूम होता है, क्योंकि मैं पैदल चलता हूं। परंतु अिनकी योजनामें सबसे पहले देशव्यापी रास्ते बनानेकी बात आती है और फिर अच्छे घर बनानेकी बात आती है। अिस तरह वे लोगोंको काम देनेकी दृष्टिसे जो भी कार्यक्रम रखते हैं, अुसमें अुत्पादक काम नहीं होता है। अनुके विचारकी यह खूबी है कि वे अुत्पादक काम ही सामने रखते हैं। मैं मानता हूं कि रास्ते, घर आदि जरूरी हैं और अुनसे बेकारोंको काम मिलता है। परंतु खादीकी ओर अिस दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये कि अिससे बेकारीकी समस्या हल होनेमें मदद होगी, बल्कि अिस दृष्टिसे देखना चाहिये कि यह एक जीवन-विचार है। घर, रास्ते वगैरह बनानेमें दस-पंद्रह साल लग जायंगे, लेकिन अुसके बाद कोई काम नहीं रहेगा। अिसलिये मैं तो सोचता हूं कि बिना खादीके ग्रामराजकी कल्पना असंभव है। अब तक तो वस्त्र-स्वावलंबनका प्रयोग कुछ थोड़ेसे लोगोंने किया। परंतु अब हमें यह करना है कि गांवमें खादीके सिवा दूसरा कपड़ा नहीं आये, चाहे दुनियामें मिले चलती रहे। जैसे कानूनमें तो जमीनकी मालकियत है, परंतु हमने अपने गांवमें जमीनकी मालकियत मिटा दी, वैसे ही चाहे दुनिया भरमें मिले चलती हों तो भी हमारे गांवमें मिलका कपड़ा नहीं आयागा, हमारे गांवमें खादी ही चलेगी। फिर अिसके साथ नजी तालीम भी चलेगी और अुसके लिये हमने एक योजना बनायी है जिसको हमने एक घंटेवाले स्कूलका नाम दिया है। गांवमें जो शिक्षक होगा वह सुबह एक घंटा बच्चोंको पढ़ायेगा और शामको एक घंटा बड़े लोगोंको पढ़ायेगा। लड़कोंको पढ़ने-लिखनेके साथ-साथ अुद्योग भी सिखाये जायंगे। और गांवके अुद्योगोंमें सुधार करनेके प्रयोग भी किये जायंगे।

बिनोबा

### सेना और शराब

नजी दिल्लीसे पी० टी० आजी० की २० जूनकी एक खबरमें कहा गया है:

"आगामी १ जुलाईसे भारतकी सशस्त्र सेनाओंके भोजन-गृहोंमें पिये जानेवाले सारे 'टोस्ट' शराब-रहित होंगे; अुनमें शराबका अुपयोग नहीं किया जायगा। स्थल-सेना, जल-सेना और वायु-सेनाके प्रमुख अधिकारियोंने सरकारी अिस आज्ञाका अनुमोदन किया है।

"शराबके नशीले 'टोस्टों' पर लगाया गया यह प्रतिबंध अिस बातका परोक्ष प्रमाण है कि आजादीके बाद भारतीय सेनाओंमें शराबकी खपत घटती गयी है। खूब शराब पीनेवाले बड़े अच्छे योद्धा होते हैं—अिस पुराने विश्वासको छोड़ देनेके कारण भारतीय सेनाओंमें पूर्ण सयमी लोगोंकी संख्या बराबर बढ़ रही है।"

यह वास्तवमें बड़ी अच्छी खबर है। हम आशा करें कि अिससे हमारी प्रजाके लिये, जिसमें हमारे देशकी जल, स्थल और वायु-सेनायें भी शामिल हैं, पूर्ण शराबबन्दी दाखिल करनेमें सुविधा होगी।

८-७-५५  
(अंग्रेजीसे)

म० प्र०

## ‘नीवमें से निर्माण’ — २

[पिछले अंकके अनुसंधानमें]

जैसा कि हम पिछले अंकमें देख चुके हैं अगर हम नीवमें से निर्माण करना चाहते हों, तो अैसे पुनर्निर्माणकी योजना हमारी राष्ट्रीय अर्थरचनाके सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रको केन्द्र मानकर की जानी चाहिये। बाकी सब अुसके घरेमें धूमेगा और संपूर्ण योजनाकी तसवीरकी पूरा करेगा। यह योजना महज आर्थिक और यांत्रिक नहीं होगी जिसके मुख्य साधन पैसा और यंत्र हैं; जिसके खिलाफ वह अंक सच्ची मानवीय योजना होगी। संक्षेपमें, हमारी योजनाको गांवोंकी आवश्यकताओंकी ही पहला स्थान देना चाहिये, जहां कि भारतकी विशाल जनसंख्याका अधिकांश आलस्य, अज्ञान, लाचारीकी पूरी या आंशिक बेकारी, गंदगी, बीमारी, पीनेके पानीकी कमी आदिमें अपने दिन गुजारता है।

अिस तरह देखा जाय तो समस्या आर्थिक या शिल्प-विज्ञानकी नहीं, पर मुख्यतः मानवीय है। जिसे सचमुच योजनाका नाम दिया जा सके, अैसी योजनाको अुसे प्रत्यक्ष रूपसे स्पर्श करना चाहिये और हल करना चाहिये। अुसकी जड़ भारतकी अपनी निजी समस्या और परिस्थितियोंकी भूमिमें होना चाहिये। अर्थ-मंत्रालयके आर्थिक-विभाग और योजना-कमीशनने केन्द्रीय स्टेटिस्टिकल आर्गनाइजेशन और इन्डियन स्टेटिस्टिकल इन्स्टीट्यूटके साथ संलाह-मशविरा करके देशके सामने योजनाकी जो आजमायशी रूपरेखा पेश की है, वह अैसा नहीं करती। अुसमें बहुत कुछ अैसा है जिसे ‘मनचाहा’ कहा जा सकता है। वह तो चली आ रही अैतिहासिक प्रक्रियाको अुलटनेका प्रयत्न मालूम होती है, जो न केवल आर्थिक दृष्टिसे अकार्य है—यह बात अुक्त योजनाको कार्यान्वित करनेके लिये डेफिसिट फाइनेन्स और विदेशी मददकी जरूरतसे, जो असन्तुलन पैदा करेंगे, स्पष्ट है—बल्कि सामाजिक दृष्टिसे भी अनुचित है, क्योंकि वह जितनी समस्याओंका समाधान करेगी, अुनसे अधिक समस्याओं पैदा करेगी। अिसका कारण यह है कि वह पूंजी-प्रधान औद्योगिक कार्यक्रम पर गलत जोर देती है जो कि स्वाभाविक क्रमको अुलटने जसी बात है। वह मुख्यतया अुन प्रश्नोंको लेती है जिनका सही स्थान अुपर्युक्त केन्द्रीय प्रश्नके बाद और अुसके आसपास है। अिसलिये योजनाकी रूपरेखाकी यह सारी तसवीर विकृत हो गयी है। अुसकी तुलना अैसी ग्रहमालाके साथ की जा सकती है, जिसमें सूर्य किसी छोटे ग्रहके आसपास चक्कर लगाता हो। यदि अैसा न होता तो योजनाकी अिस रूपरेखाके निर्माता हमारी अर्थरचनाके मुख्य क्षेत्र—स्वतंत्र काम-धंधेका तुरन्त विकास करने, अुसे बल पहुंचाने और अुसे पुनःस्थापित करनेका कार्य कैसे भूल सकते थे? ‘नीवमें से निर्माण’ पुस्तिकामें दी गयी योजना, जिसे हम यहां संक्षेपमें दे रहे हैं, अैसा करती है यही अुसकी बड़ी खूबी है।

अुक्त पुस्तिका स्वतंत्र काम-धंधेकी आर्थिक क्षमता और सामाजिक महत्वका विचार करती है और अुसके गुणोंका अिस प्रकार वर्णन करती है:

“स्वतंत्र काम-धंधा मालिक और मजदूरके बीचके भेदको खतम कर देता है, क्योंकि अुसमें अुत्पादनके औजारोंका स्वामी और अुनसे काम करनेवाला मजदूर, दोनों अंक ही होते हैं। वह अंक ही चोटमें मनुष्यके साथ मनुष्यके संबंधोंमें आज पैसेको जो विनाशक महत्व प्राप्त हो गया है अुसे नष्ट कर डालता है (या यों कहें कि अत्यन्त कम कर देता है) और अुत्पादनको अुसकी पराकाष्ठा पर पहुंचानेके लिये जो मानसिक परिवर्तन चाहिये अुसका सम्पादन करता है, बल्कि अर्थरचनाका अैसा पुनर्गठन भी करता है जो अुच्चतर

अुत्पादनके लाभोंके न्यायपूर्ण वितरणको निश्चित बनाता है।” (पैरा १५)

“अिस व्यवस्थाकी संघटन-पद्धति मनुष्य, यंत्र, माल और प्रबंध-कार्यकी बचतमें सहायक होती है, क्योंकि परिवारके सदस्योंमें कामका बंटवारा अुनकी अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार होता है और आर्थिक जरूरतें वैयक्तिक दिलचस्पी और शक्तिके साथ अंकेरूप हो जाती हैं।” (पैरा १८)

“स्वतंत्र काम-धंधेका दुहरा सामाजिक महत्व है: वह सबको दर्जा तथा अवसरकी समानता और अिसके परिणामस्वरूप सामाजिक स्थिरता और समान गतिसे सामाजिक विकास करनेकी सुविधा देता है। विविध अुद्योगोंमें लगे हुअे स्वतंत्र काम-धंधेवाले परिवारोंकी समाज-रचनामें आर्थिक विषमताओं तथा मालिक और मजदूरकी बड़ाजी-छूटाजी पर आधारित वर्गीकरण संभव नहीं है। फलतः सामाजिक संबंध सेवाओंके आदान-प्रदान पर और सामाजिक परस्परवलंबन अुच्चतर बौद्धिक और/अथवा भावनाके स्तरों पर आधारित होने लगता है। सामाजिक न्याय, दर्जा और अवसरकी समानता तथा सामाजिक नीतिके अैसे ही दूसरे अुद्देश्य प्राप्त करना आसान हो जाता है। अिसके सिवा, गैर-आर्थिक संबंधों पर आधारित सामाजिक परस्परवलंबन सामाजिक दायित्वोंकी चेतनाको किसी तरहकी हानि पहुंचाये बिना परिवारको अधिकतम स्वाधीनता प्रदान करता है। अैसा समाज भौतिक सुख-सुविधाके अुच्चतर स्तरोंकी और बुनियादी, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्योंकी किसी तरहकी हानि पहुंचाये बिना बढ़ सकता है।” (पैरा २०)

“स्वाधीन काम-धंधा धीरे-धीरे अपना नियंत्रण आप करनेवाले समाजोंकी स्थापनामें सहायक होता है। अैसे समाजोंमें राजनीतिक सत्ताका व्यापक वितरण शक्य भी है और लाभकारी भी है। अिस तरह स्वाधीन काम-धंधा सहकारी जनराज्यकी सच्ची नींव डालता है, क्योंकि वह व्यक्तिके सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्योंके अमलकी सतत अनौपचारिक तालीमकी मांग करता है।” (पैरा २१)

अिस तरह यह पुस्तक बतलाती है कि नयी योजनामें स्वाधीन काम-धंधेके क्षेत्रको केन्द्रीय स्थान देना आदर्श होगा और यदि अपनी वर्तमान अर्थरचना पर पश्चिमी शिल्प-विज्ञानके मोहसे मुक्त होकर विचार करें तो मालूम होगा कि वह व्यावहारिक दृष्टिसे आवश्यक भी है। ‘नीवमें से निर्माण’ पुस्तिका भारतमें काम-धंधेकी मौजूदा रचना-पद्धतिकी परीक्षा करते हुअे अिस सवालके व्यावहारिक पक्षकी छान-बीन भी करती है। (चालू)

२९-६-५५

(अंग्रेजीसे)

मगनभाई देसाई

विषय-सूची	पृष्ठ
अहिसक क्रान्तिकी पद्धति	मगनभाई देसाई १५३
क्रान्ति और शान्ति	नेमीशरण १५४
कालेजोंमें तामिल माध्यम	मगनभाई देसाई १५४
पाठ्यपुस्तकें और सरकार	मगनभाई देसाई १५६
भूदान और पंचवर्षीय योजना	मगनभाई देसाई १५७
मालिक तो परमेश्वर है	विनोबा १५७
सेवा समग्र जीवनकी चाहिये	विनोबा १५८
‘नीवमें से निर्माण’ — २	मगनभाई देसाई १६०
टिप्पणियां:	
अ-गुजरातियोंके लिये भाषाकी परीक्षा	मगनभाई देसाई १५५
सेना और शराब	म० प्र० १५९